B.N. College, Bhagalpur

A Constituent unit of Tilka Manjhi Bhagalpur University

Department of History

Topic : Sher Shah Suri's Administrative Reforms(PPT)

B.A. Part-3

Prepared by : Sri Pinku kumar

Asst. Professor (Dept. of History)

B.N. College Bhagalpur

Contact (whatsApp) no- 7982166260

Email id- kpinku348@gmail.com

शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार

परिचय

- एक शासक के रूप में शेरशाह के गुण रणक्षेत्र में उसकी विजयों की अपेक्षा प्रशासन के क्षेत्र में अधिक विलक्षण थे, क्योंकि 5 वर्षों के उसके छोटे से शासनकाल में न केवल शासन की प्रत्येक शाखा में विवेकपूर्ण और हितकारी सुधार किए गए, बल्कि साम्राज्य के विभिन्न भागों को एकता के सूत्र में भी पिरो दिया गया। शेरशाह के अधीन राजनीतिक एकीकरण की जो प्रक्रिया स्थापित और विकसित हुई, वह अकबर के हाथों अपनी पूर्णता को प्राप्त हुई। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था ने अकबर के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया।
- शेरशाह ने राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ की और प्रशासन के क्षेत्र में ऐसे हितकर और विवेकपूर्ण परिवर्तन उपस्थित किए कि इतिहासकारों ने उसके शासन को प्राचीन एवं आधुनिक भारत के बीच की एक कड़ी की संज्ञा दी है। परंतु वह एक 'व्यवस्था सुधारक' था, 'व्यवस्था प्रवर्तक' नहीं।
- उसने नयी शासन संस्थाओं को जन्म नहीं दिया बल्कि उसने तो पुरानी संस्थाओं को नया रूप दिया और इस कार्य में उसने इतनी सफलता प्राप्त की कि मध्यकालीन भारतीय शासन व्यवस्था का लगभग सारा स्वरूप ही बदल दिया।

केंद्रीय प्रशासन

शेरशाह ने सल्तनत काल की व्यवस्था के आधार पर मुख्यतः चार विभाग स्थापित किए -

- दीवान-ए-वजारत- इस विभाग का अध्यक्ष वजीर होता था, जो राजस्व तथा अर्थ विभाग का प्रमुख होता था। वह राज्य के आय-व्यय का पूरा हिसाब रखता था।
- दीवान-ए-आरिज- इस विभाग का प्रमुख आरिज-ए-ममालिक नामक मंत्री होता था। इस विभाग का संबंध सैनिक संगठन से था। सेना की भर्ती, सेना का संगठन, सेना का वेतन-वितरण, सेना की रसद आदि का बंदोबस्त करना इस विभाग का उत्तरदायित्व था।
- दीवान-ए-रसालत- यह विभाग राज्य के विदेशी मामलों की देखभाल करता था। विदेशों से आने वाले राजदूतों से संबंध स्थापित करना, देश के राजदूतों को अन्यत्र भेजना, विदेशों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करना आदि इस विभाग के मुख्य कर्तव्य थे।
- दीवान-ए-इंशा- इस विभाग के मंत्री का काम शाही घोषणाओं को लिखना और प्रसारित करना था।
- इन चार विभागों के अतिरिक्त दीवाने-ए-काजी (न्याय संबंधी विभाग) और दीवाने-ए-बरीद (गुप्तचर विभाग) नामक विभाग भी थे।

प्रांतीय प्रशासन

- प्रांत- प्रांतीय शासन की अपेक्षा शेरशाह ने स्थानीय शासन पर अधिक ध्यान दिया। किंतु इस क्षेत्र में भी उसने मूलतः सल्तनत कालीन व्यवस्थाओं को ही बनाए रखा। उसके समय में प्रांत क्रमशः सरकार, परगना तथा ग्राम में विभक्त थे।
- सरकार- प्रांत सरकार में विभाजित थे। प्रत्येक सरकार का शासन प्रबंध दो अधिकारियों के हाथ में था, जिन्हें क्रमशः शिकदार-ए-शिकदारान और मुंसिफ-ए-मुंसिफान कहा जाता था। मुख्य शिकदार सरकार का सैनिक अधिकारी होता था जिसके अधीन एक शक्तिशाली सैनिक टुकड़ी होती थी।
- परगना- शेरशाह के शासनकाल में प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभक्त था। परगना के महत्वपूर्ण अधिकारियों और कर्मचारियों में एक शिकदार, एक अमीन, एक फौजदार और दो कारकून होते थे। हर परगने में पटवारी, चौधरी और मुकदम भी होते थे, जो शासन व जनता के बीच मध्यस्थ का काम करते थे।
- स्थानीय प्रशासन- शेरशाह ने बुद्धिमान शासक की भांति गांवों की आंतरिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। अतः उसने गांवों का शासन प्रबंध पहले की ही तरह पंचायतों के हाथों में रहने दिया। इस पंचायत का मुख्य कार्य गांव वालों के झगड़ों को निपटाना, गांव की सफाई का प्रबंध करना आदि थे।

सैन्य प्रशासन

- शेरशाह एक प्रबल और कार्यक्षम सेना के महत्व को समझता था। एक ओर तो उसने सेना के संगठन और संख्या पर ध्यान दिया और दूसरी ओर सेना विभाग में अनेक उपयोगी सुधार भी किए।
- सेना दो वर्गों में विभक्त थी- शासक द्वारा रखी जाने वाली शाही सेना और जागीरदारों द्वारा दिए जाने वाले सैन्य दल। प्रांतों के सूबेदारों और जागीरदारों के लिए यह आवश्यक था कि वे अपनी जागीर और पद (मनसब) के अनुसार कुछ अश्वरोही रखें।
- सेना के पुनर्गठन और सैनिक सुधारों के क्षेत्र में शेरशाह ने अधिकांशतः अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक प्रणाली के मुख्य सिद्धांतों का ही अनुसरण किया। अलाउद्दीन के अनुरूप शेरशाह ने स्थायी सेना रखने की नीति अपनायी और सेना की कार्यक्षमता पर पूरा ध्यान दिया। सैनिक प्रबंध की कुशलता के लिए अलाउद्दीन खिलजी की भांति 'दाग और चेहरा' प्रणाली को शेरशाह ने पुनः प्रचलित कर दिया। दाग और चेहरा प्रणाली शेरशाह का बहुत ही महत्वपूर्ण सैनिक सुधार था।
- सैनिकों के अनुशासन पर कठोर नियंत्रण था। यातायात और रसद पहुंचाने का प्रबंध सैनिक स्वयं करते थे। उन्हें बाजारों द्वारा रसद प्राप्त होता था, जो सेना के साथ-साथ चलते थे। सेना के नियम बड़े कठोर थे, जिन का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाता था।

पुलिस प्रशसन

- शेरशाह ने बहुत ही कुशल और सफल पुलिस प्रबंध किया था। शेरशाह ने पुलिस विभाग के नाम से कोई अलग विभाग स्थापित नहीं किया। उसने सैनिक अधिकारियों पर ही यह उत्तरदायित्व डाला की वह राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखें।
- परगने में शिकदार को और केंद्र में मुख्य शिकदार को पुलिस संबंधी कार्यों का भार सौंपा गया। उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वह अपराधियों को दंड दे सकते हैं।
- शेरशाह ने अपराधियों को उनके अपराध की अपेक्षा अधिक कठोर दंड देने की नीति अपनाई। उदाहरण स्वरूप हत्या के अपराधी को ढूंढने में असफल रहने पर संबंधित अधिकारी को मृत्युदंड तक भुगतना पड़ता था।
- शेरशाह का मत था कि संबंधित अधिकारी स्थानीय चरित्रहीन व्यक्तियों से पूर्णतया परिचित होते हैं, अतः हत्यारे को नहीं पकड़ पाना उसकी अकुशलता का ही प्रमाण है। शेरशाह ने मामूली से अपराध पर भी कठोर दंड की व्यवस्था की और इस संबंध में कोई भेदभाव नहीं रखा।

न्यायिक प्रशसन

- शेरशाह के न्याय प्रबंध के बारे में विशेष विवरण प्राप्त नहीं है, तथापि उपलब्ध सामग्री से निश्चित किया जा सकता है कि वह बड़ा ही न्यायप्रिय शासक था। शेरशाह के न्याय का आदर्श काफी ऊंचा था और न्याय करते समय वह धनी-निर्बल, राजा-रंक, ऊंच-नीच आदि में कोई भेद नहीं करता था। राज्य के उच्च अधिकारी और सगे-संबंधी भी अपने अपराधों के लिए दंडनीय होते थे।
- शेरशाह स्वयं राज्य का सबसे बड़ा न्यायधीश था। दूसरा स्थान मुख्य काजी का था शेरशाह प्रारंभिक और अपील संबंधी दोनों ही प्रकार के मुकदमें स्वयं सुनता था। दीवानी मुकदमों का निर्णय प्राय: काजी और आदिल किया करते थे। काजी के अदालत में अपील संबंधी मुकदमे ही मुख्यत: सुने जाते थे।
- मुख्य मुंसिफ दीवानी मुकदमों और मुख्य शिकदार फौजदारी मुकदमों का फैसला करते थे। फौजदारी कानून अत्यंत कठोर और दंड बड़े कड़े थे। शेरशाह का न्याय प्रबंध अवश्य ही बड़ा सुव्यवस्थित था, क्योंकि तत्कालीन लेखकों के अनुसार उसके शासनकाल में लोग अत्याचार या अन्याय से पीड़ित नहीं थे।

भू-राजस्व व्यवस्था

- शेरशाह प्रशासनिक ढांचे की मजबूती प्रदान कर राज्य की वृद्धि के लिए भू-राजस्व में महत्वपूर्ण सुधार किए, व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहित किया तथा मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित किया। वह इस बात को अच्छी तरह से समझता था कि एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के अभाव में कोई भी राज्य स्थायी एवं शक्तिशाली नहीं हो सकता। राज्य की आमदनी को निश्चित करने तथा किसानों की दशा को सुधारने के लिए कई तरह के उपाय किए।
- शेरशाह ने भूमि को मापने की प्रथा फिर से प्रचलित की। एकसमान पद्धति पर संपूर्ण जमीन की पैमाइश की जाती थी और प्रत्येक गांव में कृषि योग्य भूमि का ब्यौरा रखा जाता था। भूमि की पैमाइश करने वालों के वेतन भी निश्चित कर दिए गए थे, ताकि वे अपना काम ईमानदारी से करें और किसानों के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय का भय नहीं रहे।
- शेरशाह ने भूमि पैदावारों का अनुपात लगाकर भूमि का लगान निश्चित कर दिया। उसने भूमि को तीन श्रेणियों में विभक्त किया- उत्तम ,मध्यम और निम्न। लगान के रूप में पैदावार का मुख्यतः एक तिहाई भाग लिया जाता था।

भू-राजस्व व्यवस्था-1

- भूमि कर या लगान के अतिरिक्त किसानों को जरीबाना (पैमाइश करने वालों की फीस) तथा महासिलाना (कर वसूल करने वाले की फीस) नामक कर भी देना पड़ता था। यह दोनों ही कर लगान या भूमि कर के ढाई प्रतिशत से 5% तक होते थे।
- लगान या भूमि कर नगदी के रूप में चुकाना पड़ता था किंतु अनाज के रूप में चुकाने की सुविधा भी प्रदान की गई थी। नकद लगान देने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता था। अनाज के प्रचलित भाव के अनुसार सरकारी हिस्सा नकद रूप में देना पड़ता था। प्रत्येक स्थान के लिए तथा प्रत्येक प्रकार के अनाज के लिए पृथक-पृथक दरें थी।
- किसानों की सुविधा के लिए 2 सरकारी पत्रक थे पट्टा और कबूलियत (शर्तनामा)। पट्टे में किसानों की भूमि का क्षेत्रफल, खेतों की स्थिति, भूमि कर आदि का विवरण होता था। सरकारी कर्मचारी द्वारा यह पत्रक संबंधित किसान को दे दिया जाता था और बदले में उससे कबूलियत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे।
- कबूलियत में भी उन बातों का विवरण होता था जो पट्टे में लिखी होती थी। कबूलियत में किसानों की कर देने संबंधी स्वीकृति भी प्रमाणित होती थी।

सड़कें और सराय

- शेरशाह ने पुराने स्थल मार्गों की मरम्मत करायी और नई सड़कें भी बनवायी। सड़कों के निर्माण से जनता की सुविधा बहुत बढ़ गई क्योंकि शेरशाह ने प्रधान सड़कों के किनारे पर प्राय: 4-4 मिल के अंतर पर सराय बनवा दी, जिसमें हिंदू और मुसलमान यात्रियों के लिए ठंडे पानी और भोजन का अलग-अलग प्रबंध रहता था।
- शेरशाह के समय की प्रधान सड़कें निम्नलिखित थी- 1.बंगाल में सोनार गांव से सिंधु नदी के तट पर स्थित, इसी सड़क पर आगरा, दिल्ली तथा लाहौर पड़ते थे। 2.आगरा से मांडू तक 3. आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक 4. लाहौर से मुल्तान तक।

निष्कर्ष -

वस्तुत: शेरशाह के प्रशासन का महत्व इस बात में निहित है कि उसने प्राचीन संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं को बनाए रखते हुए भी अपनी मौलिक प्रशासकीय नीतियों द्वारा उन्हें नवीन स्वरूप प्रदान किया तथा उन्हें अधिक प्रभावशाली बना दिया। इस प्रकार एक सुधारक होते हुए भी उसने प्रशासनिक प्रवर्तकों से अधिक ख्याति प्राप्त की तथा जनता का अधिकतम कल्याण किया।